बिहार सरकार
विज्ञान एव प्रावैधिकी विभाग,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना।

पत्रांक :–166 /पटना, दिनांकः–02.02.2011

प्रेषक,

श्री चन्द्रशेखर सिंह,
परीक्षा नियंत्रक,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
टेक्नोलॉजी भवन, पटना–15.

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी राजकीय पोलिटेकनिक/
राजकीय महिला पोलिटेकनिक/
निजी पोलिटेकनिक संस्थान।

विषय :– राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद में निबंधन कराने एवं परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त आन्तरिक अंकों के संशोधन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि परीक्षा पर्षद के निर्णयानुसार निबंधन आवेदन पत्र बिना विलम्ब शुल्क के प्राप्त करने के तिथि के उपरान्त विलम्ब से प्राप्त कराने पर प्रति छात्र प्रतिदिन 200/–(दो सौ रूपये) मात्र विलम्ब शुल्क के रूप में लिया जायेगा। बिलम्ब के प्राप्ति तिथि के बाद या द्वितीय सामयिक के बाद (जो भी पहले हो) प्राप्त विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन आवेदन वाले छात्र का निबंधन, प्रमाणिक कारण पाये जाने पर विशेष परिस्थिति में हीं की जायेगी, परन्तु ऐसे छात्र उस सत्र के परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होगें। उनका वह सत्र समाप्त माना जायेगा।

2. आगामी परीक्षा से परीक्षाफल प्रकाशन के बाद आन्तरिक/सामयिक अंक में संशोधन का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। साथ ही प्रायोगिक/सात्रिक विषयों के वाहय समिति के अंक में किसी प्रकार के त्रृटि निवारण के प्रस्ताव पर, परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त, एक माह के अन्दर पर्षद में प्राप्त प्रस्ताव पर हीं विचार की जायेगी।

कृपया सभी संबंधितों को अपने स्तर से सूचित कर अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

परीक्षा नियंत्रक,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– पर्षद के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।